



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ खंडपीठ

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या- 1162 वर्ष 2026

घिराऊ यादव @ घिरे

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और 8 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : भानु प्रताप सिंह, ज्ञान सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-15

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आज दाखिल किया गया पूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक गुप्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
3. पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के आलोक में और इस कारण से भी कि विपक्षी संख्या 2 से 9 इस समय व्यथित / पीड़ित नहीं हैं, उन्हें नोटिस जारी करने की आवश्यकता को समाप्त किया जाता है।
4. वर्तमान आवेदन निम्नलिखित मुख्य अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया गया है:

"..... अत्यंत विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय, न्याय के हित में कृपया बलरामपुर के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 96 वर्ष 2025 (घिराऊ उर्फ घिरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 19.01.2026 को पारित उस आदेश को रद्द करने की कृपा करे, जिसके द्वारा आवेदक द्वारा दाखिल पुनरीक्षण को अस्वीकृत कर दिया गया था, और साथ ही बलरामपुर के विद्वान सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 70 वर्ष 2025 (घिराऊ उर्फ घिरे बनाम गुरुवचन यादव और अन्य) में दिनांक 07.10.2025 को पारित उस आदेश को भी रद्द करने की कृपा करे, जिसके द्वारा आवेदक द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 175(3) के साथ पठित धारा 173(4) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को एक परिवाद के रूप में माना गया था।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या 2 से 9 एक ही गाँव के निवासी हैं और 08.06.2025 को दोपहर लगभग 1:00 बजे दोनों पक्षों के मध्य कहा-सुनी हुई थी। विपक्षी संख्या 2 ने 08.06.2025 को हुई इसी घटना के संबंध में पुलिस थाना गौरा चौराहा, जिला बलरामपुर में आवेदक के पुत्र जिसका नाम अनिल कपूर है, और अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 351(3), 352 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट/मुकदमा अपराध संख्या 0059 वर्ष 2025 दिनांक 08.06.2025 दर्ज कराई। आवेदक के आवेदन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए उसने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया। मजिस्ट्रेट ने पुलिस से आख्या तलब की और उस आख्या पर विचार करने के पश्चात् दिनांक 07.10.2025 को आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसमें आवेदक के प्रकरण को विपक्षी संख्या 2 से 9 के विरुद्ध एक परिवाद के रूप में माना गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की, जिसे भी दिनांक 19.01.2026 को खारिज कर दिया गया।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक पक्ष को गंभीर चोटें आई हैं, और उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान चोट रिपोर्ट (संलग्नक-4) की ओर आकृष्ट किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि रघु यादव, लक्ष्मण और गोपाल को गंभीर चोटें आई हैं और उनकी चोटों को अभिलेख पर लाया गया है। रघु यादव को निम्नलिखित चोटें आई हैं:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“1. सिर के ऊपरी हिस्से (स्कैल्प) पर सिला हुआ घाव, जिसकी लंबाई (07 CM) है। टांके लगे होने के कारण घाव की चौड़ाई और गहराई मापी नहीं जा सकी। घाव का रंग लालिमा लिए हुए है और उस पर पपड़ी जमी हुई है।

2. बाईं हथेली में दर्द की शिकायत, चोट का कोई बाहरी निशान दिखाई नहीं दे रहा है।

लक्ष्मण को निम्नलिखित चोटें लगी हैं:

1. सिर के ऊपरी हिस्से पर सिला हुआ घाव। इसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। टांके लगे होने के कारण इसकी चौड़ाई और गहराई नहीं मापी जा सकी। रंग लालिमा लिए हुए है। सीटी स्कैन किया गया।

2. चेहरे पर दर्द की शिकायत। चोट का कोई निशान मौजूद नहीं है।

3. सिर के दाईं ओर दर्द की शिकायत। चोट का कोई बाहरी निशान मौजूद नहीं है।

गोपाल को निम्नलिखित चोटें लगी हैं:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. गर्दन के पिछले हिस्से पर रैखिक खरोंच, माप: 03 x 02 x 01 सें.मी., रंग: लालिमा लिए हुए।

2. वर्तमान में दाहिने हाथ के अंगूठे में दर्द और सूजन की शिकायत है।

3. बाएँ कंधे पर चोट 07 सें.मी. x 0.2 सें.मी. रंग लालिमा लिए हुए है।

तस्वीरें भी संलग्न की गई हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक पक्ष को गंभीर चोटें आई हैं।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस तथ्य के बावजूद कि आवेदक पक्ष के तीन घायल व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई थीं, प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और अवर न्यायालय ने आवेदक के आवेदन को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया है, जबकि विपक्षी संख्या 2 से 9 के प्राथमिकी दर्ज कराने के आवेदन को पुलिस द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और आवेदक के विरुद्ध दिनांक 08.06.2025 को पुलिस थाना गौरा चौराहा, जिला बलरामपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 351(3), 352 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट/मुकदमा अपराध संख्या 0059 वर्ष 2025 दर्ज की गई है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या 2 से 9 को कोई चोट नहीं आई थी, फिर भी उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जबकि आवेदक का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

धारा 173(4) के अंतर्गत आवेदन आंशिक रूप से इस सीमा तक स्वीकार किया गया है कि उसे केवल एक परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया गया और आवेदक के आवेदन को परिवाद मानते हुए आदेश पारित कर दिया है। उन्होंने इस न्यायालय के एक निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है, जो **अनमोल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या- 13804 वर्ष 2020)** के प्रकरण में दिनांक 07.01.2021 को पारित किया गया था।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के पश्चात इस न्यायालय के सामने एक तथ्य यह आया है कि आवेदक पक्ष के तीन लोगों को चोटें आई हैं, परन्तु आवेदक के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अंतर्गत दिए गए आवेदन को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया, और प्राथमिकी दर्ज करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। यद्यपि पुलिस ने विरोधी पक्ष संख्या 2 के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जो कि मान्य नहीं है। जब पुलिस ने विरोधी पक्ष संख्या 2 की प्राथमिकी इस तथ्य के बावजूद दर्ज कर ली है कि विरोधी पक्षों की ओर से किसी को कोई चोट नहीं आई है, जबकि आवेदक पक्ष के तीन लोगों को चोटें आई हैं, तो इन तथ्यों को देखते हुए, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश मान्य नहीं रह सकते। दोनों आदेश गलत प्रतीत होते हैं।

9. उपर्युक्त चर्चा के दृष्टिगत, आवेदन स्वीकार किया जाता है और दिनांक 07.10.2025 तथा 19.01.2026 के आक्षेपित आदेशों को अपास्त किया जाता है। प्रकरण को मजिस्ट्रेट के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पास वापस भेजा जाता है, ताकि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय द्वारा ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, एक नया निर्णय ले सकें।

30 मार्च 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।